बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 82 ● नई दिल्ली ● बुधवार 07 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, भाजपा विधायक करनैल सिंह तलब

नई दिल्ली । राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर संज्ञान लिया है। अदालत ने करनैल सिंह को आगामी 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। सत्येंद्र जैन ने अपनी शिकायत में भाजपा विधायक करनैल सिंह पर झूठे और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया है। जैन के वकील, अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने बताया कि अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए करनैल सिंह के खिलाफ समन जारी किए हैं। अधिवक्ता भारद्वाज के अनुसार, करनैल सिंह ने सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसे बयान दिए हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।

दिल्ली में प्रदूषण पर आप का जोरदार प्रदर्शन, आतिशी ने भाजपा सरकार को घेरा

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को प्रदूषण के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में विधायकों ने जहरीली हवा को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी की। आतिशी ने कहा कि प्रदूषण पर भाजपा सरकार जनता के सामने एक्पोज हुई तो आप विधायकों ने सदन से मार्शल आउट किया। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीने से दिल्लीवाले प्रदूषण में सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन सरकार ग्रेप को कड़ाई से लागू नहीं कर रही। इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले दिन मास्क लगाकर दिल्ली विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में 'आप' विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आतिशी ने कहा कि प्रदूषण से दिल्लीवालों का दम घुट रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीने से दिल्लीवाले प्रदूषण से सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सरकार ग्रेप को कड़ाई से लागू नहीं कर रही है। दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है। बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा की चार-इंजन सरकार समाधान देने के बजाय एक्यूआई के आंकड़े मैनिपुलेट करने में लगी है। प्रदूषण पर दिल्ली की जनता के सामने भाजपा सरकार एक्पोज हुई तो 'आप' विधायकों को सदन से मार्शल आउट करा दिया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो दूर, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है।

आज हमें विधानसभा से इसलिए निकाला गया क्योंकि हम मास्क पहनकर अंदर गए थे। दिल्ली के लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है और एम्स के वार्ड भरे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली के प्रतिनिधि विधानसभा में मास्क भी नहीं पहन सकते? यह शर्म की बात है कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार एक्यूआई मॉनिटर्स पर पानी छिड़कने के अलावा कुछ नहीं करेगी। आतिशी ने आगे कहा कि भाजपा पहले इस बात का जवाब दे कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा से क्यों मर रहे हैं? सारे आंकड़े यही बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में सबसे यादा प्रदूषण दिल्ली में इस बार हुआ है। अब इनका पंजाब में पराली जलने का बहाना भी खत्म हो गया है। केंद्र सरकार का डेटा बता रहा है कि अब पंजाब में पराली नहीं जल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह प्रदूषण कहां से आ रहा है? आतिशी ने कहा कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, यहां प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। प्रदूषण नियंत्रण करने का इनका तरीका आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करना, झूठे आंकड़े देना और एक्यूआई मॉनिटर पर पानी छिड़कना है। हमारे फेफड़ों में तो पानी नहीं छिड़का जा रहा है। हमारे बच्चे उसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, बुजुर्गों का दम घुट रहा है और इसके लिए भाजपा और उनकी सरकार जिम्मेदार है। दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। प्रदूषण पर जुमलेबाजी नहीं, ठोस और तुरंत कार्रवाई चाहिए। दिल्लीवालों की हर सांस की लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। सोमवार को विधानसभा के बाहर प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग पिछले चार महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों का दम घुट रहा है और बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की भाजपा सरकार एक्यूआई मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है और ग्रेप को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली वालों को सांस लेने के लिए साफ हवा की मांग को लेकर मास्क पहन कर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर, भाजपा को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए विधानसभा में इंडस्ट्रियल मास्क पहनकर आए।

जिंदा जल गया डीएमआरसी इंजीनियर का परिवार, बेड पर मिले तीनों के शव; 200 मीटर तक गूंजी हीटर के फटने की आवाज

बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में आदर्श नगर के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित मेट्रो अपार्टमेंट्स में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में हीटर फटने के बाद लगी आग में डीएमआरसी के इंजीनियर अजय विमल, उनकी पत्नी नीलम और 10 वर्षीय बेटी जान्हवी की जलकर मौत हो गई। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 2.39 बजे आदर्श नगर थाना पुलिस को आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। सोसाइटी के इन-हाउस फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं, आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने फ्लैट में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मास्टर बेडरूम से तीनों के जले हुए शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय अजय विमल, उनकी 38 वर्षीय पत्नी नीलम और 10 साल की

बेटी जान्हवी के रूप में हुई। मृतक इंजीनियर की पत्नी की पहचान शव पर चिपके कपड़े से हुई है। पुलिस ने बताया कि अजय विमल डीएमआरसी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। मौके पर क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि रूम हीटर में धमाके के बाद आग लगी, जिससे कमरे में आग तेजी से फैल गई। आग के दौरान कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण परिवार के सदस्यों को समय पर बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की गहन जांच कर रही है। पड़ोसियों ने बताया कि तेज धमाका होने पर मृतक के फ्लैट के आसपास अन्य फ्लैट के लोग बाहर आ गए। देखा तो पता चला कि पांचवीं मंजिल पर आग लगी है। काफी धुंआ निकल रहा था। तुरंत दमकल विभाग को जानकारी दी गई। गेट अंदर से बंद था। धमाके की आवाज पड़ोसियों के अलावा 200 मीटर दूर ट्रक चालक ने भी सुनी। ऐसे में पुलिस कह रही है कि शायद वह जग नहीं पाए। यह हो सकता है कि पहले धुएं से बेहोश हो गए हों।

बाद में धमाका हुआ हो, जिसके बाद सभी जल गए। अभी तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। मृतक की बहन ऊषा ने बताया कि वह तीन बहन और दो भाई हैं। मृतक छोटे भाई थे। बड़ा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उज्जैन के रहने वाले हैं। आखिरी बार फोन पर नववर्ष पर बात हुई थी। बीते रविवार को परिवार के सदस्य भाई के यहां मिलने के लिए आए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी काफी खुश थे। 15 वर्ष पूर्व अजय दिल्ली आ गए थे। यहां दिल्ली मेट्रो में असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर के पद पर तैनात थे। आज सुबह 8 बजे डीएमआरसी ने उन्हें इस हादसे की जानकारी दी थी।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती, सूत्रों ने बताई एडमिट होने की वजह

नई दिल्ली । कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को मंगलवार को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, सोनिया गांधी की हालत फिलहाल स्थिर है और वह बेहतर महसूस कर रही हैं। उन्हें चेस्ट फिजिशियन (छाती रोग विशेषज्ञ) की देखरेख में रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें नियमित जांच और निगरानी के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। अस्पताल के एक सूत्र ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि नियमित जांच के तहत उन्हें भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता को काफी समय से खांसी की समस्या है और वह समय-समय पर, खासकर शहर में प्रदूषण के कारण जांच के लिए आती रहती हैं। सूत्र ने बताया कि सोनिया गांधी को सोमवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोनिया गांधी ने दिसंबर 2025 में ही अपना 79वां जन्मदिन मनाया था। सोनिया गांधी को हाल के सालों में स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कुछ महीने पहले, उन्हें पेट की समस्या के कारण दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरवरी में उन्हें एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इस दौरान वह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिस्ट की देखरेख में थीं। इससे पहले 19 जून को, सोनिया गांधी को पेट की बीमारी के इलाज के बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। 79 साल की सीनियर नेता को 15 जून को पेट में इन्फेक्शन से जुड़ी शिकायतों के बाद भर्ती कराया गया था। पिछले चार दिनों से गांधी कड़ी मेडिकल निगरानी में थीं। 7 जून को भी, कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गई थीं, उन्हें कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रूटीन हेल्थ चेक-अप के लिए लाया गया था, यह जानकारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर (मीडिया) नरेश चौहान ने दी। सितंबर 2022 में, गांधी एक टल चुके मेडिकल चेक-अप के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई थीं, यह दौरा कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था। उस यात्रा के दौरान उनके साथ उनके बेटे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी थे।

दो हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण बताएं, सुप्रीम कोर्ट बोला- एक्सपर्ट के साथ बैठक करे सीएक्यूएम

नई दिल्ली ।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को समाधान सुझाने से पहले बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के प्रमुख कारणों की तत्काल पहचान करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि स्पष्ट निदान के बिना, उपचारात्मक उपाय अप्रभावी रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सीएक्यूएम को संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सूची तैयार करने और दो सप्ताह के भीतर एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि सर्वसम्मति से दिल्ली के वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों का निर्धारण किया जा सके।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सीएक्यूएम का यह कर्तव्य है कि वह विभिन्न संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर व्यापक और आंकड़ों पर आधारित मूल्यांकन करे। अदालत ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए, पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय वायु प्रदूषण पर स्वयं को सर्वोच्च विशेषज्ञ के रूप में स्थापित नहीं करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित निर्णय समय पर और पारदर्शी तरीके से लिए जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहला चरण कारणों की पहचान करना है। समाधान बाद में आते हैं। उन्होंने प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बिना सटीक जानकारी दिए अस्पष्ट या सामान्यीकृत दावों के प्रति आगाह किया। सीएक्यूएम के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के कारणों की पहचान करने या दीर्घकालिक समाधानों पर काम करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है।

परिणामों की चेतावनी देते हुए, पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ मूल्यांकन और कार्रवाई में अत्यधिक देरी से केवल और अधिक जटिलताएं पैदा होंगी, खासकर तब जब दिल्ली को साल दर साल प्रदूषण संकट का सामना करना पड़ता है। अदालत ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि वह साथ ही साथ दीर्घकालिक समाधानों पर भी विचार करना शुरू करे, लेकिन केवल उन कारकों के लिए जो अधिकतम प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस पैमाने की बार-बार होने वाली समस्या के समाधान के लिए तात्कालिक या टुकड़ों में उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं होंगे। अदालत ने कहा कि एक बार कारणों की पहचान और खुलासा हो जाने के बाद, जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए जा सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को विश्वसनीयता मिलेगी।

11 साल दिल्ली को दी जहरीली हवा, अब मास्क पहन रहे? सिरसा का आप विधायकों पर बड़ा हमला

नई दिल्ली । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गैस मास्क पहने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष पिछले 11 वर्षों की अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए सिरसा ने कहा कि आप विधायक अपना चेहरा छुपा रहे हैं और पार्टी पर अपने कार्यकाल के दौरान एक दशक से अधिक समय तक दिल्ली को प्रदूषित हवा में रखने का आरोप लगाया। सिरसा ने आगे आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने विपक्ष को वायु प्रदूषण पर बहस के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आप नेताओं ने रचनात्मक चर्चा में भाग लेने के बजाय विरोध प्रदर्शन करना चुना। सिरसा ने पत्रकारों से कहा कि वे (आतिशी समेत आप नेता) अपना चेहरा छिपा रहे थे। आपने दिल्ली को ग्यारह साल तक प्रदूषित हवा दी है। ग्यारह साल तक अरविंद केजरीवाल झूठ पर झूठ बोलते रहे। हर साल वे कहते रहे कि अगले साल प्रदूषण ठीक हो जाएगा। अब वे नकाब के पीछे अपना चेहरा छिपा रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता उनके नकाबपोश मुंह के पीछे असली चेहरे नहीं देख सकती? यह पहली बार है जब कोई सरकार खुद कह रही है, चलो प्रदूषण पर बहस करते हैं... हमने बहस की मांग की, लेकिन विपक्ष भाग गया... इसलिए वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी ने 2025 में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, जिसमें पीएम2.5 और पीएम10 के स्तर में कमी शामिल है। 79 दिनों तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 100 से नीचे रहा और लगभग 200 दिन स्वच्छ हवा वाले रहे, जो 2018 के बाद से सबसे अधिक है और कोविड-प्रभावित 2020 को छोड़कर पिछले सभी वर्षों से बेहतर है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जनवरी से नवंबर तक औसत एक्यूआई 187 रहा, जो पिछले आठ वर्षों में वायु गुणवत्ता का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, और केवल आठ दिन ही गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किए गए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही वायु प्रदूषण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप एक व्यापक, विज्ञान-आधारित रणनीति तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य संरचनात्मक नीति सुधारों और धूल नियंत्रण, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में निरंतर प्रवर्तन के माध्यम से प्रदूषण को जड़ से खत्म करना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वर्ष की मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिल्लीवासियों ने हमें सेवा करने का जनादेश दिया है, और हमने स्वच्छ हवा को अपना सर्वोपरि संकल्प बनाया है - 2025 में स्किॉर्ड तोड़ अच्छे वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले दिनों से साबित होता है कि विज्ञान-आधारित कार्रवाई चमत्कार कर सकती है।

सशक्तिकरण, अपराध, न्याय और जेल प्रशासन की वैश्विक चुनौती

वैश्विक स्तरपर भारत की सांस्कृतिक चेतना में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है।शक्ति,दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में स्त्री भारतीय सभ्यता की आत्मा रही है।शासन-प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और सुरक्षा से जुड़े अनेक कार्यक्रम शुरू किए।भारत की सभ्यता में नारी को शक्ति, मातृत्व और देवत्व का प्रतीक माना गया है। वेदों से लेकर संविधान तक, महिला को सम्मान, समानता और गरिमा का अधिकार देने की बात की जाती रही है।स्वतंत्र भारत में भी महिला सशक्तीकरण को राष्ट्र निर्माण का मूल आधार घोषित किया गया। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, महिला हेल्पलाइन,मिशन शक्ति, स्टैंड- अप इंडिया जैसी असंख्य योजनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य महिला उत्थान को प्राथमिकता देने का दावा करता है। इसके बावजूद,यदि हम आपराधिक न्याय व्यवस्था के आंकड़ों की ओर देखें तो एक गहरी चिंता उभरती है। इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च की वर्ल्ड फीमेल इम्प्रिजनमेंट लिस्ट यह बताती है कि बीते दो दशकों में भारतीय जेलों में बंद महिलाओं की संख्या,पुरुषों और सामान्य जनसंख्या की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ी है। यह तथ्य केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक और लैंगिक संरचनाओं पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि हाल के वर्षों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी मूल की महिलाओं के खिलाफ सघन अभियानों के कारण भी महिला कैदियों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार, केवल पश्चिम बंगाल की जेलों में ही लगभग 358 बांग्लादेशी महिलाएं कैद में हैं।इनमें से कई मानव तस्करी, अवैध प्रवास या जबरन अपराध में धकेली गई पीड़िताएं भी हो सकती हैं। यह स्थिति भारत की जेल व्यवस्था को एकअंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और कूटनीतिक आयाम भी प्रदान करती है।रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से 2022 के बीच भारतीय जेलों में महिला कैदियों (विचाराधीन और सजायाफ्ता दोनों) की संख्या 9,089 से बढ़कर 23,772 हो गई। यह लगभग 162 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके विपरीत, इसी अवधि में भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई,जबकि पुरुष कैदियों की संख्या 3,10,310 से बढ़कर 5,49,351 हुई, जो करीब 77 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है।यह असंतुलन इस ओर संकेत करता है कि महिलाओं के मामले में या तो अपराध के स्वरूप बदले हैं, या कानून,व्यवस्था और न्यायिक व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आया है,जिसने महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक संख्या में जेल तक पहुंचाया है। साथियों बात अगर हम महिला सशक्तिकरण बनाम अपराध-इस मूल प्रश्न को समझने की करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दौर में महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है,उसी दौर में महिलाएं अपराध से विमुख क्यों नहीं हो रहीं? क्या अधिकारों की जागरूकता के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं उन्हें सुरक्षित विकल्प नहीं दे पा रही हैं? कई मामलों में जांच के दौरान यह सामने आया है कि मादक पदार्थों और अन्य तस्करी गतिविधियों में महिलाओं को जानबूझकर शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कानून से कम संदिग्धसमद माना जाता है। इस संदर्भ में यह आशंका भी उठती है कि कहीं पुरुषप्रधान आपराधिक नेटवर्क अपने बचाव के लिए महिलाओं को आगे तो नहीं कर रहे।अमेरिका और चीन जैसे विशाल आबादी वाले देशों की तुलना में भारत में महिला कैदियों की कुल संख्या अपेक्षाकृत कम है। इससे एक प्रकार का संतोष मिल सकता है, लेकिन यह संतोष भ्रमित करने वाला है। मात्र 4 प्रतिशत हिस्सेदारी के बावजूद महिला अपराधियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना यह दर्शाता है कि समस्या की जड़ें गहरी हैं और भविष्य में इसके सामाजिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। साथियों बात अगर हम महिला कैद में वृद्धि - केवल अपराध नहीं सामाजिक-संरचनात्मक संकट इसको समझने की करें तो, महिलाओं के जेल जाने को केवल अपराध में वृद्धि के रूप में देखना एक सतही दृष्टिकोण होगा। वास्तविकता यह है कि अधिकांश महिला कैदी हिंसक अपराधी नहीं हैं। वे या तो गरीबी-जनित अपराध, परिस्थितिजन्य अपराध, पारिवारिक दबाव में किए गए अपराध, या कानूनी अज्ञानता के शिकार मामले हैं।अंतरराष्ट्रीय अध्ययन बताते हैं कि महिला अपराध अक्सर सर्वाइवल क्राइम होते हैं,याने जीवित रहने की मजबूरी से उपजे अपराध।भारत में महिला कैदियों का बड़ा हिस्सा अंडरट्रायल है। वर्षों तक मुकदमे लंबित रहते हैं, जमानत की प्रक्रिया जटिल होती है और कानूनी सहायता तक पहुँच सीमित रहती है।गरीब,अशिक्षित और सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़ी महिलाएँ इस प्रणाली में सबसे पहले फँसती हैं और सबसे अंत में बाहर निकलती हैं। यह स्थिति सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) तथा अनुच्छेद 39 (निःशुल्क कानूनी सहायता) के उल्लंघन की ओर संकेत करती है। साथियों बात अगर हम महिला अपराध के पीछे प्रमुख कारण एक बहु-आयामी विश्लेषण करने की करें तो महिला कैदियों की संख्या में वृद्धि के पीछे पहला बड़ा कारण आर्थिक असमानता और स्त्री-गरीबी है। भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर चिंताजनक रूप से कम है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ असुरक्षित मजदूरी, ऋण जाल और शोषण का शिकार होती हैं। जब जीवन की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं, तो छोटी-मोटी चोरी, अवैध व्यापार या तस्करी जैसे अपराधों में फँसना उनकी मजबूरी बन जाता है। दूसरा कारण घरेलू हिंसा और पितृसत्तात्मक दबाव है। कई मामलों में महिलाएँ अपने पति या परिवार के पुरुषसदस्यों के अपराधों में सह-अभियुक्त बना दी जाती हैं। ड्रग्स, अवैध शराब, मानव तस्करी या आर्थिक अपराधों में महिलाओं की भूमिका अक्सर गौण होती है, लेकिन कानून उन्हें मुख्य आरोपी के समान दंडित करता है। यह दर्शाता है कि न्याय प्रणाली लिंग-संवेदनशीलता से अभी भी वंचित है।तीसरा बड़ा कारण कानूनी जागरूकता की कमी है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाएँ अपने अधिकारों, जमानत प्रक्रियाओं और कानूनी उपायों से अनभिज्ञ रहती हैं। वे पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों के कानूनी निहितार्थ तक नहीं समझ पातीं। कई बार फर्जी मुकदमे या मामूली अपराधों में भी उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। साथियों बात अगर हम राज्य की भूमिका सशक्तीकरण बनाम दंडात्मक शासन व जेल प्रशासन की चुनौतियाँ इसको समझने की करें तो, महिला सशक्तीकरण की योजनाएँ प्रायः कल्याणकारी स्वरूप की हैं,जबकि आपराधिक न्याय प्रणाली आज भी दंडात्मक मानसिकता से संचालित होती है। पुलिस तंत्र में महिला अधिकारियों की संख्या सीमित है,जिससे महिलाओं के साथ होनेवाली पूछताछ और गिरफ्तारी में संवेदनशीलता का अभाव रहता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, महिलाओं की गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होनी चाहिए, विशेषकर जब वे गर्भवती हों या छोटे बच्चों की माँ हों। किंतु भारत में इस सिद्धांत का पालन अपवादस्वरूप ही होता है।अदालतों पर बढ़ता बोझ भी महिला कैदियों की संख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। मुकदमों के वर्षों तक लंबित रहने से महिलाएँ सजा से पहले ही सजा भुगतने को मजबूर होती हैं। यह स्थिति लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत को कमजोर करती है कि जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष है। जेल प्रशासनकी चुनौतियाँ- अदृश्य पीड़ा और संरचनात्मक विफलता- भारतीय जेल प्रणाली मूलतः पुरुष-केंद्रित है। महिला कैदियों की बढ़ती संख्या के बावजूद, जेलों में उनके लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य सेवाएँ,मानसिक परामर्श, स्वच्छता मातृत्व देखभाल और बच्चों के पालन-पोषण की व्यवस्था गंभीर रूप से अपर्याप्त है।

कई जेलों में महिलाएँ अपने नवजात बच्चों के साथ अमानवीय परिस्थितियों में रहने को विवश हैं। यह स्थिति न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों,जैसे संयुक्त राष्ट्र की बैंकाक रूल्स के भी विपरीत है, जो महिला कैदियों के लिए विशेष संरक्षण और वैकल्पिक दंड व्यवस्था की सिफारिश करती है। भारत ने इन मानकों का समर्थन तो किया है, लेकिन उनका प्रभावीक्रियान्वयन अब भी दूर की बात है। साथियों बात अगर हम अपराध के बदलते स्वरूप- शहरीकरण और नई भूमिकाएं को समझने की करें तो रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शहरीकरण और वैश्वीकरण के साथ अपराधों के स्वरूप में बदलाव आया है। अब महिलाएं केवल घरेलू या पारंपरिक अपराधों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर धोखाधड़ी, वित्तीय अपराध और मानव तस्करी जैसे मामलों में भी अधिक देखी जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सार्वजनिक सक्रियता, रोजगार में भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता बढ़ने से अपराध के अवसर और जोखिम दोनों बढ़े हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सशक्तिकरण और शोषण दोनों एक साथ चलते दिखाई देते हैं। न्यायिक रुझानों में बदलाव- जमानत से सख्ती तकपिछले कुछ वर्षों में न्यायिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन देखा गया है। गैर- हिंसक अपराधों, जैसे छोटे चोरी,ठगी, सेक्स वर्क या आर्थिक अपराधों में भी अदालतें महिलाओं को जमानत देने में पहले जितनी उदार नहीं रहीं। इसके पीछे एक तर्क कानून के समान अनुप्रयोग का है, लेकिन इसका व्यावहारिक प्रभाव महिलाओं पर अधिक कठोर पड़ता है। सामाजिक कलंक के कारण कई महिलाओं को परिवार का सहयोग नहीं मिलता, जिससे जमानत की प्रक्रिया और कानूनी लड़ाई अत्यंत कठिन हो जाती है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत में महिला कैदियों की बढ़ती संख्या एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही सुधार का अवसर भी। यह हमें याद दिलाती है कि सशक्तिकरण केवल योजनाओं और नारों से नहीं, बल्कि सामाजिक,आर्थिक न्याय, संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया और मानवीय जेल व्यवस्था से साकार होता है। यदि आज इस प्रवृत्ति को गंभीरता से नहीं समझा गया, तो इसका प्रभाव न केवल महिलाओं पर, बल्कि परिवार, बच्चों और समाज की भावी पीढ़ियों पर पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी इसी से तय होगी कि वह नारी को देवी मानने की सांस्कृतिक परंपरा को न्याय और करुणा की आधुनिक व्यवस्था में कैसे बदलता है।

सम्पादकीय...

मानवता के लिए घातक

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करके हथकड़ियों में उनके देश से उठाकर न्यूयॉर्क में लाने की घटना को लेकर भारत की संतुलित प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अमेरिका से व्यापारिक रिश्तों को लेकर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना राष्ट्रीय कूटनीतिक लिहाज से सही नहीं कही जाएगी। वैसे भी ट्रंप जैसे राष्ट्राध्यक्ष के दौर में तो कड़ी प्रतिक्रिया अपने राष्ट्रीय हितों को संकट में डालने जैसा ही माना जाएगा। लेकिन जिस तरह भारत के लोगों ने इस कार्रवाई के विरोध में प्रतिक्रिया जताई है, उसे भी भारतीय लोक की स्वाभाविक प्रक्रिया का ही हिस्सा माना जाना चाहिए। भारतीय लोक स्वभाव से ही लोकतांत्रिक है और उसे लोकतांत्रिक सत्ताओं का सैनिक कार्रवाई के जरिए उखाड़ना पसंद नहीं रहा है। भारतीय लोक का मानस कमजोर के पक्ष में खड़े होने का रहा है। इसलिए अधिकांश भारतीय प्रतिक्रियाएं निकोलस मादुरो के पक्ष और अमेरिका के विरोध में हैं। अमेरिकी कार्रवाई ने दो तरह प्रस्थापनाएं की हैं। पहली यह कि ताकतवर के लिए कुछ भी करना संभव है। वह उसे नियमों और कानूनों की परिभाषा में बांध सकता है। दुनिया लाख चिल्लाती रहे कि किसी राष्ट्राध्यक्ष की सत्ता को उखाड़ फेंकना और उसे गिरफ्तार करके अपने कानूनों के दायरे में लाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन इसका अमेरिका की सेहत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। अमेरिका ने एक तरह से इतिहास को ही दोहराया है। अमेरिका अपने हितों के खिलाफ जिस देश को सिर उठाते देखता है, उसके खिलाफ उसे सैनिक, कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई करने में देर नहीं लगती। इस मौके पर जार्ज बुश सीनियर के दौर को याद किया जाना चाहिए। कुवैत में इराकी सेना की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने खाड़ी युद्ध छेड़ दिया था। बेशक इस युद्ध की आग में झुलसने के चलते वे सत्ता में दोबारा वापसी नहीं कर पाए। लेकिन उनके अधूरे कार्य को उनके बेटे जार्ज बुश जूनियर ने पूरा किया। बेशक इसके लिए मुस्लिम चरमपंथियों और ओसामा बिन लादेन के कुख्यात संगठन अलकायदा ने मौका मुहैया कराया। इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सत्ता को तहस-नहस करने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश जूनियर और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने एक बहाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से इराक भेजे गए वैज्ञानिकों और पर्यवेक्षकों ने कथित रूप से रिपोर्ट दी कि इराक के पास व्यापक जनसंहार के रासायनिक हथियार हैं। अमेरिका की नजर में सद्दाम तानाशाह थे,इस लिहाज से ये हथियार मानवता के लिए घातक हो सकते थे।फिर क्या था,संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव की आड़ में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराकी शासन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका की अगुआई वाली सेनाओं के हमले में इराक तहस-नहस हो गया। सद्दाम गिरफ्तार कर लिए गए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उन्हें व्यापक नरसंहार का दोषी ठहराते हुए फांसी पर लटका दिया गया। बाद के दिनों में बीबीसी ने रिपोर्ट दी कि जिन घातक रासायनिक हथियारों को खत्म करने के नाम पर इराक पर मित्र देशों की सेनाओं ने हमला किया, असलियत में ऐसे हथियार तो इराक के पास थे ही नहीं। बीबीसी को यह खबर लीक करने का शक हथियार जांचने पहुंचे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की टीम के सदस्य रहे ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम केली पर किया गया। बीबीसी के कई अधिकारियों और पत्रकारों को इस खबर के लिए अपनी नौकरी गवांनी पड़ी। एक सुबह टहलने गए विलियम केली भी रास्ते में मृत पाए गए। इराक में अमेरिकी तर्ज का लोकतंत्र स्थापित तो हो गया है,लेकिन क्या वहां शांति आ पाई है? कुछ ऐसा ही यक्ष प्रश्न वेनेजुएला को लेकर उभरने वाला है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में जो सत्ता स्थापित हुई है, क्या वह सही मायने में लोकतंत्र स्थापित करके वहां नशा के कारोबार को रोक पाएगी। नशे के कारोबार की बात इसलिए की जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने मादुरो पर बड़ा आरोप लगाया है कि वे नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे अमेरिकी हितों को चोट पहुंच रही थी। हालांकि उनके इस आरोप को अमेरिका की ही उपराष्ट्रपति रहीं कमला हैरिस ने नकारा है। उनका कहना है कि ट्रंप की कार्रवाई की मूल वजह के पीछे तेल का खेल है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। अनुमान है कि यह भंडार करीब 303 अरब बैरल है। लेकिन कच्चे तेल के उत्पादन में वह बहुत पीछे है। वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादकों की जो सूची है, उसमें वेनेजुएला 21वें स्थान पर है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उत्पादन के लिए वेनेजुएला के पास बुनियादी ढांचे की बेहद कमी है। इसके साथ ही मादुरो की सत्ता के चलते वहां लगातार अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं। इसकी वजह से वह उत्पादन नहीं कर पा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध के पहले तक भारत वेनेजुएला का दूसरे नंबर का तेल आयातक था। भारत की अमेरिकी कार्रवाई को लेकर संतुलित प्रतिक्रिया की एक बड़ी वजह भारतीय तेल कंपनियों का फंसा वहां पैसा है। कच्चे तेल के उत्पादन के लिए भारतीय तेल कंपनियों ने वहां निवेश कर रखा है। भारत के करीब नौ हजार करोड़ रुपए वहां फंसे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बदली परिस्थितियों में भारत को यह रकम मिल सकती है या फिर तेल का आयात बढ़ सकता है। बहरहाल अमेरिका में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसका मानना है कि मादुरो की गिरफ्तारी के पीछे ट्रंप की कोशिश अपने परिवार के नियंत्रण वाली तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। अमेरिकी कार्रवाई ने एक सवाल यह भी उठाया है कि क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ की अब भी जरूरत है। इस कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। संयुक्त राष्ट्रसंघ को ट्रंप के अमेरिका ने एक बार फिर अंगूठा दिखाया है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की एक मात्र भूमिका बयान देने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की रस्म तक सिमटी नजर आ रही है। अब दुनिया को सोचना होगा कि क्या ताकतवर ही दुनिया को चलाएगी। क्या दुनिया में कमजोर राष्ट्रों, उनकी संप्रभुता और उनकी स्वतंत्रता का महत्व नहीं रहेगा। दिलचस्प यह है कि अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरुआ मानता है।

सफल क्रियान्वयन के लिए तालमेल और समय पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण

जीडीपी को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने और अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालने में अवसंरचना पर व्यय के विशिष्ट महत्व को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे से संबंधित पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह व्यय वर्ष 2014-15 में लगभग 2 ट्रिलियन रुपये से पांच गुना से भी अधिक बढ़कर वर्ष 2024-25 में 11.1 ट्रिलियन रुपये हो गया। हाल के रुझान इंगित करते हैं कि बुनियादी ढांचे से संबंधित पूंजीगत व्यय में 38 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, जिसमें भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार के ढांचागत नेटवर्क के विकास पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। बड़े पैमाने पर किए गए इन आवंटनों का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं समयबद्ध रूप से और कुशल गति से आगे बढ़ें तथा उनमें समय और लागत की अधिकता न हो। निर्माण की लंबी अवधि के कारण ऐसी परियोजनाओं के लिए न केवल पर्याप्त और निरंतर वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, बल्कि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों तथा सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से संबंधित अनुमतियों के समय पर मिलने पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इन स्वीकृतियों में अनेक नियामक प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों और जिला-स्तरीय प्रशासन की भागीदारी होती है, जिससे परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तालमेल और समय पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। ढांचागत परियोजनाओं के लिए प्रभावी समन्वय और समय पर स्वीकृतियां मिलना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) पोर्टल की शुरुआत की। प्रगति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बड़े पैमाने की ढांचागत परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी करता है तथा कार्यान्वयन एजेंसियों, मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अद्यतन जानकारी प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री हर महीने उच्च-स्तरीय समन्वय बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जिनमें कार्यान्वयन में विलंब का सामना कर रही परियोजनाओं का चयन किया जाता है, मंत्रालयों, राज्यों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ सीधे संवाद कर बाधाओं की पहचान की जाती है तथा उनके समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इस प्रकार, प्रगति पोर्टल एक ऐसे तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो समय और लागत में वृद्धि का सामना कर रही लंबित परियोजनाओं को गति प्रदान करता है- प्रगति तंत्र के माध्यम से अब तक कुल 85 ट्रिलियन रुपये मूल्य की अटकी हुई परियोजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ने में सहायता मिली है।इस प्रगति के अनुभव से प्राप्त जानकारी- विशेष रूप से ऐसी बाधाएं जो बार-बार उत्पन्न होती हैं और परियोजनाओं की पूर्णता में देरी और अक्सर लागत में वृद्धि का कारण बनती हैं-को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अक्टूबर 2021 में पीएम गति शक्ति (पीएमजीएस) राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की शुरुआत की। पीएमजीएस एक जीआईएस-आधारित ढांचा प्रदान करती है, जिससे देश में बुनियादी ढांचे से संबंधित कनेक्टिविटी की वैज्ञानिक एवं समन्वित योजना संभव हो पाती है। डेटा की सहज दृश्यता उपलब्ध कराकर योजना निर्माण में समन्वित दृष्टिकोण को सक्षम बनाते हुए पीएमजीएस योजना चरण में ही आवश्यक स्वीकृतियों की शीघ्र पहचान की सुविधा प्रदान करती है। इससे बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की सहयोगपूर्ण योजना संभव होती है और उन महीनों की बचत होती है जो अन्यथा अनुमोदन प्राप्त करने में व्यर्थ हो जाते। यह परिवर्तनकारी योजना दृष्टिकोण न केवल गति और दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि मौजूदा अवसंरचना परिसंपत्तियों की अनावश्यक पुनरावृत्ति को भी रोकता है तथा परिवहन के विभिन्न माध्यमों के बीच परिसंपत्तियों की परस्पर पूरकता सुनिश्चित करता है। फलस्वरूप, अवसंरचना योजना न केवल अधिक कुशल बनती है, बल्कि लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को सुदृढ़ करने वाले परिणाम भी प्रदान करती है-जो जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता दोनों को समर्थन देते हैं। इस प्रकार, योजना से जुड़ी एजेंसियां प्रगति के सिद्धांतों के अनुरूप पीएमजीएस तंत्र का उपयोग परियोजना की योजना और क्रियान्वयन में अधिक दक्षता और गति लाने के लिए कर रही हैं। जीआईएस-पोर्टल के माध्यम से इन मार्गों पर जाम की स्थिति की पहचान की गई और ऊर्जा सामग्री के निर्बाध परिवहन के लिए मार्ग को मजबूत करने की योजना बनाई गई। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने लद्दाख और हरियाणा के बीच हरित ऊर्जा गलियारे की योजना बनाने में भी मदद की। चाहे वह हजारों करोड़ रुपये के निवेश वाली बड़ी एक्सप्रेस-वे परियोजनाएं हों, वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में शहरी लॉजिस्टिक्स पहल हों, या प्रमुख बंदरगाहों और उनके अंतर्गत क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी सुधारना हो-गति शक्ति के सिद्धांत परियोजना के योजना चरण में 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। ढांचागत परियोजनाओं की समन्वित समीक्षा, निगरानी और उनमें तेजी लाने में प्रगतितंत्र की सफलता के आधार पर और पीएम गति शक्ति द्वारा अवसंरचना कार्यान्वयन में अधिक समेकित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण प्रदर्शित किए जाने के साथ ही भारत अब अपनी आर्थिक कूटनीति के तहत वैश्विक स्तर पर अपनी सीख को साझा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। जो अधिक कुशल और समन्वित ढांचागत योजना का मॉडल प्रस्तुत करता है, जो डेटा-आधारित, समन्वित है और जिसकी बदौलत उसका समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।

भारत आज अनाज निर्यात करने वाला देश

भारत ने आजादी के बाद से कृषि क्षेत्र में जो प्रगति व विकास किया है उसके पीछे देश के किसानों की अटूट मेहनत के साथ ही पिछले 75 वर्षों के दौरान सत्तारूढ़ सरकारों की दूरदृष्टि भी रही है। यह दुष्कर कार्य इन दोनों के आपसी सहयोग व तालमेल के बिना होना संभव नहीं था क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो भारत में अनाज की भारी कमी थी और इसे अपनी जनता की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। यह हालत तब थी जबकि 1947 में भारत की 90 प्रतिशत के लगभग जनता कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। आजादी के समय देश में उद्योग-धंधों के नाम पर टाटा, बिड़ला और डालमिया समूह की कुछ उत्पादन कम्पनियां थीं। मगर इसके बाद प. जवाहर लाल नेहरू की प्रथम सरकार से लेकर अब तक सभी सरकारों ने खेती की तरफ विशेष ध्यान दिया जिसका परिणाम यह है कि भारत आज अनाज निर्यात करने वाला देश है। असल में यह सपना देश के अभी तक के हुए सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह का था कि भारत में किसानों के खेतों में उत्पादन बढ़कर उनकी आमदनी में वृद्धि की जाये और उनके बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करके जीवन के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाये। अतः हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 75 वर्षों के सतत प्रयासों के कारण भारत आज चावल उत्पादन में दुनिया का नम्बर एक देश बन गया है और इसने इस क्षेत्र में चीन को पछाड़ दिया है। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने कुल 1500 लाख टन से भी अधिक का चावल उत्पादन किया जबकि चीन में यह उत्पादन 1452 लाख टन से कुछ ऊपर रहा। केवल चावल के क्षेत्र में ही भारत ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है बल्कि दुग्ध व डेयरी उत्पादों में भी यह विश्व का नम्बर एक देश बन गया है। बीते वर्ष में इसने 2480 लाख टन दुग्ध उत्पादों का उत्पादन किया। इससे यही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि खेती के क्षेत्र में लगातार प्रगति करने की प्रेरणा भारत की विभिन्न सरकारें देती रही हैं। यह क्रम 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद 1996 तक कुछ जरूर ठंडा पड़ा था परन्तु उसके बाद की सरकारों ने पुनः कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने के प्रयास किये। वर्ष 1991 से लेकर 1996 तक कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बहुत घट गया था क्योंकि तब की सत्तारूढ़ नरसिम्हा राव सरकार का पूरा ध्यान औद्योगिकरण पर ही केन्द्रित था और वह निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही थी। इस दौरान ग्रामीण व कृषि क्षेत्र में पूंजी सृजन में भी गुणात्मक कमी दर्ज की गई थी। परन्तु इसके बावजूद इस दौरान भी कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता रहा था। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए भारत ने अथक प्रयास शुरू से ही किये हैं और किसानों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना तक की गई थी। निगम स्थापित करने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि किसान आधुनिक वैज्ञानिक खोजों का अधिकाधिक प्रयोग अपने खेतों में करके उपज बढ़ायें जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो। इसके लिए न्यूनतम खरीद प्रणाली भी शुरू की गई। ये सारे कार्य सरकारी इमदादों से ही संभव हुए। इसके लिए भारत की पिछली सरकारों ने भी जी तोड़ मेहनत की है और यह कार्य वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भी बदस्तूर जारी है।

असंसदीय भाषा, गाली-गलौच का बढ़ता प्रयोग एक गंभीर मुद्दा

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती उसके नेताओं की गरिमा और संवाद की गुणवत्ता पर निर्भर करती है लेकिन हाल के वर्षों में राजनीतिक भाषणों व बयानों में अभद्र टिप्पणियां व असंसदीय भाषा, गाली-गलौच का बढ़ता प्रयोग एक गंभीर मुद्दा बन गया है। यह न केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित है, बल्कि चुनावी रैलियों, मीडिया इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर भी फैल चुका है। यह मुद्दा इतना संवेदनशील बन चुका है कि राजनीतिक दल चाहे कोई भी क्यों न हो उनके बिगड़े बोल, आम नागरिकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया पर एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। साथ ही, महिलाओं, विपक्षी दलों और पत्रकारों के प्रति नेताओं के दुर्व्यवहार भी आजकल चर्चा में है जो कि इन अमर्यादित नेताओं के सच्चे चरित्र को सामने लाता है। संसदीय परंपराओं में असंसदीय भाषा वह होती है जो अपमानजनक, अभद्र या व्यक्तिगत हमला करने वाली होती है। भारतीय संसद में स्पीकर अक्सर ऐसी भाषा को हटाने का आदेश देते हैं लेकिन संसद के बाहर ऐसे बयानों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। राजनीतिक नेता अक्सर विपक्षी नेताओं को 'चोर', 'गद्दार' या इससे भी बदतर शब्दों से संबोधित करते हैं। चुनावी मौसम में यह और तीव्र हो जाता है, जहां व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप की जगह ले लेते हैं। गौरतलब है कि कुछ नेताओं की यह प्रवृत्ति नई नहीं है लेकिन सोशल मीडिया के युग में यह वायरल होकर लाखों लोगों तक पहुंच जाती है जिससे समाज पर इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारतीय वोटर या नागरिक अपनी पसंद अनुसार राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं और उन दलों के नेताओं को अपना आदर्श भी मानते हैं। जब नेता सार्वजनिक मंचों पर गाली-गलौच करते हैं तो यह नागरिकों में नेतृत्व के प्रति सम्मान की भावना को कमजोर करता है। विशेषकर युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है इससे प्रभावित होती है। वे सोचते हैं कि अगर देश के लोकप्रिय नेता खुले मंचों पर ही ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो सामान्य जीवन में क्या करते होंगे? इससे समाज में असहिष्णुता और हिंसा की संस्कृति पनपती है। उदाहरणस्वरूप, जब कोई नेता विपक्षी को 'कुत्ता' या 'सुअर' जैसे शब्दों से नवाजता है तो यह न केवल उस व्यक्ति का अपमान है, बल्कि पूरे लोकतंत्र का मजाक उड़ाता है। नागरिकों में यह धारणा बनती है कि राजनीति एक गंदा खेल है, जहां नैतिकता की कोई जगह नहीं। परिणामस्वरूप, मतदान में उदासीनता बढ़ती है और लोग राजनीति से दूर होते जाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार, कई नागरिकों का मानना है कि ऐसी भाषा से राजनीति की विश्वसनीयता घटती है जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने नेताओं को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हैं। जब शीर्ष नेता असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह कार्यकर्ताओं में भी वैसी ही प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। चुनावी रैलियों में कार्यकर्ता विपक्षी दलों के खिलाफ नारे लगाते समय अक्सर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कभी-कभी हिंसक झड़पों में बदल जाता है। इससे दल के अंदर अनुशासनहीनता बढ़ती है और कार्यकर्ता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में उलझ जाते हैं। इसके अलावा, जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के सदस्यों के खिलाफ ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है (जैसे असंतोषी सदस्यों को 'गद्दार' कहना) तो यह आंतरिक कलह को जन्म देता है। पार्टी कार्यकर्ता निराश होते हैं और उनका मनोबल गिरता है। लंबे समय में, यह दलों की एकजुटता को प्रभावित करता है और राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डालता है। कार्यकर्ता सोचते हैं कि अगर नेता ही सम्मान नहीं रखते तो वे क्यों रखें? इससे राजनीतिक संस्कृति में गिरावट आती है। वहीं मीडिया पर इसका प्रभाव सबसे अधिक चिंताजनक है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो नेताओं से सवाल पूछकर जवाबदेही सुनिश्चित करती है लेकिन जब पत्रकार तीखे सवाल पूछते हैं तो कई नेता उन पर व्यक्तिगत हमला करते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता पत्रकारों को 'पेड मीडिया' या 'दलाल' कहकर अपमानित करते हैं। कभी-कभी यह शारीरिक धमकी तक पहुंच जाता है, जैसे कैमरा छीनना या बाहर निकालना इससे मीडिया की स्वतंत्रता पर खतरा मंडराता है। पत्रकार डर के मारे सवाल पूछने से हिचकिचाते हैं जिससे जनता को सच्ची जानकारी नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर नेता पत्रकारों के खिलाफ ट्रोल आर्मी को सक्रिय करते हैं जो अभद्र टिप्पणियों से उन्हें परेशान करते हैं। यह न केवल मीडिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भारत में पत्रकारों पर हमलों की संख्या बढ़ने का उल्लेख है और असंसदीय भाषा इसका एक प्रमुख कारण है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है लेकिन उनके खिलाफ लिंगभेदी टिप्पणियां एक बड़ी समस्या हैं। नेता अक्सर महिला विपक्षी नेताओं की शारीरिक बनावट, कपड़ों या व्यक्तिगत जीवन पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। जैसे 'आइटम' या 'डांस करने वाली' जैसे शब्दों का प्रयोग। यह न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि पूरे समाज में लिंग असमानता को बढ़ावा देता है इससे महिला कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और वे राजनीति में आने से हिचकिचाती हैं। विपक्षी दलों के प्रति भी ऐसी भाषा का प्रयोग आम है। नीतिगत मतभेदों की बजाय, नेता व्यक्तिगत हमलों में उलझ जाते हैं, जैसे परिवार को निशाना बनाना या जाति-धर्म पर टिप्पणियां। इससे राजनीतिक बहस का स्तर गिरता है और समाज में विभाजन बढ़ता है। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार का जिक्र पहले हो चुका है लेकिन महिलाओं पत्रकारों के साथ यह और गंभीर होता है, जहां लिंगभेदी टिप्पणियां जोड़ी जाती हैं। यह सब देखकर लगता है कि भारतीय राजनीति में सभ्यता की कमी एक बड़ी चुनौती है लेकिन इसका समाधान क्या है? सबसे पहले, नेताओं को स्वयं अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में सख्त नियम लागू करने चाहिए और बाहर के मंचों पर भी नैतिक दिशा-निर्देश। मीडिया को ऐसी भाषा को बढ़ावा न देकर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। नागरिकों को भी सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री को शेयर न करके विरोध जताना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए कि बहस नीतियों पर हो, न कि व्यक्तिगत हमलों पर। महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून सख्त किए जाएं। लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है लेकिन असंसदीय भाषा उसकी आत्मा को चोट पहुंचाती है। अगर हम एक मजबूत भारत चाहते हैं तो राजनीतिक बयानों व भाषणों को सभ्य बनाना होगा। नेता याद रखें कि वे जनता के सेवक हैं, न कि शासक। नागरिक, कार्यकर्ता और मीडिया सब मिलकर इस प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। तभी हमारा लोकतंत्र सच्चे अर्थों में चमकेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीरागढ़ी एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/30, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/...)

बड़ी उपलब्धिः टीएमयू को नवाचार अवार्ड से नवाजा

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद ने इनोवेशन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आईआईसी रीजनल मीट-2025 में टीएमयू को बेस्ट इनोवेशन एम्बेसडर अवार्ड दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस इनोवेशन सेल- एमआईसी और एआईसीटीई की ओर से टीएमयू को यह अवार्ड उत्कृष्ट नेतृत्व, नवाचार संवर्धन और छात्र-मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला है। उल्लेखनीय है, टीएमयू के स्मार्ट ड्यूल- एक्सिस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, गोल्डन एजर- बुजुर्गों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य एवं वेलनेस मॉनिटरिंग सिस्टम और पोर्टेबल कम्प्रेस्ड बायोगैस किट फॉर टू-व्हीलर्स सरीखे तीन इनोवेशन आईआईसी रीजनल मीट में युक्ति इनोवेशन चैलेंज- 2025 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित भी हुए। मीट में देशभर के 170 से अधिक उंच शिक्षण संस्थानों ने शिरकत की। टीएमयू की ओर से आईआईसी कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार वर्मा ने यह अवार्ड प्राप्त किया। इस मौके पर ईसीई विभाग के प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। सभी प्रतिभागियों को प्रशस्तिपत्र प्रदान किए गए। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम-एनईटीएफ, ईसी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एवम् एनबीए के अध्यक्ष प्रो. अनिल डी. सहस्त्रबुद्धे ने बतौर मुख्य अतिथि उम्मीद जताई, इंडिया को इनोवेशन-ड्रिवन नेशन बनाने के लिए एनईपी- 2020 का क्रियान्वयन जरूरी है। टीएमयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक ईसी की छात्रा खुशबू खन्ना का प्रोजेक्ट- स्मार्ट ड्यूल- एक्सिस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम रीयल-टाइम सोलर पोजिशन एल्गोरिद्म पर आधारित है। यह सूर्य की स्थिति को सटीक रूप से ट्रैक कर सोलर पैनलों की ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करता है। यह प्रोजेक्ट नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाता है। टीएमयू के डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की फैकल्टी डॉ. शिप्रा सक्सेना और बीडीएस स्टुडेंट्स कनक शर्मा के इनोवेशन- गोल्डन एजर- बुजुर्गों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य एवं वेलनेस मॉनिटरिंग सिस्टम से वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक स्वास्थ्य निगरानी को सरल और डिजिटल बनाया जा सकता है। इसमें वेलनेस मॉनिटरिंग, स्वास्थ्य संकेतकों का ट्रैकिंग और समय पर अलर्ट सरीखी सुविधाएं शामिल हैं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टुडेंट्स- अंकित सिंह एवम् मो. इरशाद का पोर्टेबल कम्प्रेस्ड बायोगैस किट फॉर टू-व्हीलर्स इनोवेशन कम-लागत एवम् पर्यावरण हितैषी किट दोपहिया वाहनों में कम्प्रेस्ड बायोगैस-सीबीजी के उपयोग को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य ग्रीन मोबिलिटी को सशक्त बनाना और पेट्रोल निर्भरता को कम करना है।

नवाचार संवर्धन और छात्र-मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला यह अवार्ड

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने डीआईओएस को भेंट किया वार्षिक पंचांग

मुरादाबाद।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद मुरादाबाद माध्यमिक संवर्ग ने मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पाण्डे से शिष्टाचार भेंट कर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा प्रकाशित वार्षिक पञ्चांग एवम् हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ पुस्तक भेंट की एवं शैक्षिक समस्याओं व शैक्षिक उन्नयन विषयों पर चर्चा वार्ता हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पाण्डे ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पंचांग प्रकाशन की सराहना करते हुए कहा कि यह पंचांग समाज में स्व जागरण एवं स्वदेशी भाव, स्वदेशी वस्तुओं व स्वदेशी उत्पादों के प्रति स्वाभिमान का भाव विकसित करेगा। प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रतिवर्ष किसी राष्ट्रीय ,शैक्षिक, सांस्कृतिक विषय पर समाज की भाव और भूमिका जागरण के उद्देश्य से पंचांग का प्रकाशन करता रहा है। इस वर्ष के पंचांग का उद्घोष है स्वत्व का आधार लेकर, भारती की जय करें, जिसमें स्वदेशी स्वभाव और आचरण के महत्व को लेकर भारत की सनातन परंपरा से वर्तमान तक विभिन्न भारत हित चिंतक महापुरुषों के अनुभव कथनों को 12 पृष्ठों में संजोया गया है। यह पञ्चांग समाज में स्वदेशी जनजागरण का कार्य करेगा।भेंटवार्ता में प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह, माध्यमिक संवर्ग के मंडल उपाध्यक्ष मेजर सुदेश कुमार भटनागर, जिला अध्यक्ष डॉ राजीव मोहन सिंह ,जिला मंत्री डॉ विशेष कुमार शर्मा ,जिला कोषाध्यक्ष विजय कुमार राम ,जिला संगठन मंत्री मुशाहिद हुसैन ,जिला उपाध्यक्ष श्यामवीर सिंह ,जिला मीडिया प्रभारी जसदेव सिंह आनंद आदि उपस्थित रहे।

सिविल डिफेंस के वार्डन्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

मुरादाबाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं निदेशालय नागरिक सुरक्षा उ. प्र. लखनऊ के निर्देशानुसार आज एमआईटी इंस्टिट्यूट के सभागार में वार्डन एवं स्वयंसेवक के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में 90 वार्डनो का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसका शुभारम्भ रोहित गर्ग निदेशक निदेशक एमआईटी द्वारा दीप प्रज्जलित कर किया गया। साथ में उपनियंत्रक नीरज चक , सहायक उपनियंत्रक सतीश कुमार, प्रभागीय वार्डन सुरेन्द्र प्रकाश गुप्ता एवं मो. खालिद समेत 90 वार्डन उपस्थित रहे। इस अवसर पर रोहित गर्ग ने वार्डनो को निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी क्षमता बढ़ाये जाने के लिए प्रेरित किया और उनके द्वारा लगातार किये जा रहे कार्यों के लिए भी प्रशंसा भी की। उपनियंत्रक नीरज चक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन के साथ अग्निशमन, बचाव सेवा आदि के बारे में सम्बंधित विभागों के एक्सपर्ट व्याख्यान हेतु आमंत्रित किये गए हैं, जिसके क्रम में आज प्रथम दिवस मेजर डा. मीनू मेहरोत्रा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर द्वारा आधुनिक युद्ध और राष्ट्र की क्षमता पर व्याख्यान दिया गया। सभी अतिथि एवं वक्ताओं का स्वागत पुष्पगुंछ देकर उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यालय से चमन कुमार शर्मा, स्टाफ ऑफिसर शरीफ अहमद एडवोकेट, अशोक कुमार गुप्ता, तुषार अग्रवाल, मास्टर ट्रेनर विवेक कुमार यादव, अखिल अग्रवाल, वसीम अंसारी आदि ने उपस्थित रह कर सहयोग प्रदान किया।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अर्पित की श्रद्धांजलि

मुरादाबाद। नैशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन (एनएसओ) की ओर से स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संगठन अध्यक्ष मिर्जा अरशद बेग ने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को गुलामी का जीवन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1930 में भारत की मांग पर इंग्लैंड में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और वहां देश की आजादी के पक्ष में प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे अपने वतन तभी लौटेंगे, जब उनके हाथ में आजादी का परवाना होगा।उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में रहते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तबीयत बिगड़ गई और 4 जनवरी 1931 को इस महान मुजाहिद-ए-आजादी ने अंतिम सांस ली।

बहराइच हन्टर्स व बहराइच थंडर्स के मध्य खेला गया दूसरा मुकाबला

बहराइच।

इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज ग्लैमरस टाइप प्रीमियर लीग में दूसरा मुकाबला बहराइच हन्टर्स व बहराइच थंडर्स के मध्य खेला गया । जिसमे अतिथि के रूप में कुशल गोयल व नित्यम श्रीवास्तव मौजूद रहे। अतिथियों ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ किया। बहराइच थंडर के कप्तान वत्सल सिंह ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 22 ओवरों के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 153 रनों का स्कोर खड़ा किया। हन्टर्स की तरफ से कृष्णा सिंह ने 3 विकेट अपने नाम किए। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हन्टर्स की टीम 15.3 ओवरों में सभी विकेट के नुकसान पर मात्र 77 रनो पर ही सिमट गई। बहराइच थंडर्स की तरफ से अक्षत सिंह ने 4 विकेट अपने नाम किए। बहराइच थंडर्स ने 76 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। शानदार प्रदर्शन करने पर अक्षत सिंह को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया एवं वत्सल सिंह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज के मैच में अम्पायरिंग की भूमिका में अकील अहमद एवं आतिफ खान रहे। स्कोरर की भूमिका यश चौरसिया ने निभाई। आंखों देखा हाल आदिल जमीर के द्वारा सुनाया गया। इस अवसर पर,सुनील राय, रामानंद सिंह, भूपेंद्र पांडे, आयुश चित्रांश, देवाशीष राय, प्रदीप गुप्ता,आशुतोष कैराती, कार्तिकेय सिंह, सात्विक,एवं अन्य खेलप्रेमी मौजूद रहे। तीसरा मुकाबला बहराइच ग्लैडिएटर्स एवं बहराइच डेयरडेविल्स के बीच खेला जाएगा।

बहराइच थंडर्स ने 76 रनों से जीता दूसरा मुकाबला

करोड़ों की ठगी के आरोपी कन्हैया गुलाटी के खिलाफ 113 लोगों ने कराई रिपोर्ट, मामले में 42 आरोपी

बरेली । बरेली में कैनविज कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी के खिलाफ ठगी के 35 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों के पास ठगी की शिकायतों की भरमार थी। ऐसे में बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने एक संयुक्त रिपोर्ट वादी के तौर पर अपने ही थाने में दर्ज कराई है। इसमें कन्हैया गुलाटी व उसके परिजनों, गुर्गों और एजेंटों को मिलाकर करीब 42 आरोपी हैं। पीड़ित निवेशकों व शिकायतकर्ताओं की संख्या 113 है। बता दें कि कन्हैया गुलाटी और उसकी कंपनी पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। गुलाटी के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। गुलाटी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुकी है। हालांकि पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कन्हैया गुलाटी और उसके एक गुर्गे के खिलाफ फरीदपुर कोतवाली में सोमवार को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में दोनों पर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गांव अंधरपुरा में कैनविज कॉलोनी में प्लॉट बेचने के नाम पर ठगी का आरोप है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर निवासी गीता गुप्ता ने फरीदपुर थाने में तहरीर में बताया कि उन्होंने कैनविज समूह के मालिक कन्हैया गुलाटी की कंपनी कैनविज इंफ्रा कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरी गुलाब नगर निवासी सूर्य प्रकाश से कैनविज विलेज वैली प्रोजेक्ट हृदयपुर उर्फ अंधरपुरा में 159 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा था। प्लॉट पर आज तक उनको मलिकाना हक नहीं दिया गया है। उन्होंने कई बार कन्हैया गुलाटी से संपर्क किया, लेकिन वह आश्वासन देता रहा। प्लॉट पर कब्जा देने या फिर रुपये वापस करने के लिए कहा तो गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। गीता गुप्ता का कहना है कि काफी समय से कैनविज कंपनी का कार्यालय भी बंद है। निदेशक या अन्य किसी अधिकृत अधिकारी से बात भी नहीं हो रही।

शेख हसीना को शरण दिये जाने पर जताया रोष

मुरादाबाद।

इंसानियत वैलफेयर सोसायटी ने भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दिये जाने पर रोष प्रकट किया गया। इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बंगला देश की अपदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा विपक्षी दलो और प्रदर्शनकारियो के खिलाफ कठोर कदम उठाये जाने पर बंगलादेश में तनाव बढ़ जाने के कारण उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और इस्तीफा देने के बाद वह भारत आकर रहने लगी।

भारत के द्वारा शेख हसीना को शरण देता देख बंगलादेशियो ने बंगलादेश में रह रहे हिन्दूओ को मारना काटना शुरू कर दिया और उनकी सम्पत्तियो को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते बंगलादेश में हिन्दूओ की निर्मम हत्याये हो रही है जिससे हमारे देश के हिन्दूओ में काफी रोष है।

ऐसे में बंगलादेशियो द्वारा बंगलादेश में हिन्दूओ की हत्याओ से हमारे भारत के हिन्दूओ में रोष की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। हमारे देश के हिन्दूओ में रोष की स्थिति को देखते हुये शेख हसीना को भारत देश से भेजा जाना अति आवश्यक है। इस दौरान अध्यक्ष त्रिलोक चन्द दिवाकर, जय किशन शर्मा, चौ. अनुपेन्द्र सिंह, अरविन्द कुमार शर्मा, अब्दुल रऊफ, सौरभ मदान, अनिरूद्ध अरोड़ा एड0 आदि मौजूद रहे।

इंसानियत वैलफेयर सोसायटी ने वापस बांग्लादेश भेजे जाने की उठाई मांग

भाजपा की बैठक में नये वोट बनवाने पर दिया बल

मुरादाबाद।

भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के आवाहन पर रामगंगा विहार मंडल में एसआईआर को लेकर एवं नए वोट बनवाने से संबंधित विषयों को लेकर एक बैठक का आयोजन जाट सभा पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में महानगर महामंत्री दिनेश शीर्षवाल शामिल रहें । बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विपिन प्रजापति एवं संचालन मंडल महामंत्री मयंक कश्यप ने किया। मुख्य वक्ता महानगर महामंत्री दिनेश शीर्षवाल ने एसआईआर पर बोलते हुए कहा कि हमें बूथ पर त्रिदेव को लेकर कार्य करना है जिसमें बूथ अध्यक्ष बूथ प्रभारी और बी एल ए - 2 को अपनी टोली के साथ नए वोट बनवाने का कार्य करना है। उन्होंने आगे कहा कि आज हमने बूथ पर बूथ लिस्ट को चेक किया है कि जिसमें पूर्व में जो वोटर फॉर्म भरे गए वह सूची में आ गए या नहीं। महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता ने एसआईआर पर बोलते हुए कहा कि देहात विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत कर वोट ट्रेस करने में सहयोग किया अब आगे हम सभी को मिलकर नए वोट बनवाने में दुगनी ताकत से कड़ी मेहनत से काम करना है। क्योंकि पूर्व की लिस्ट से और आज जारी हुई नई वोटर लिस्ट में प्रत्येक बूथ पर लगभग 200 से ×00 वोट कम हुए हैं कही कही कुछ कम 'यादा भी हो सकते हैं जिसकी पूर्ति हम सभी को मिलकर 'यादा से 'यादा नए वोट बनवा कर करनी है। एसआईआर बैठक में मुख्य वक्ता महानगर महामंत्री दिनेश शीर्षवाल,पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा,मंडल अध्यक्ष विपिन प्रजापति,प्रांतीय परिषद सदस्य निमित जयसवाल, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता,चौधरी विजेंद्र सिंह,हर्ष शर्मा,मयंक कश्यप,योगेश गुप्ता, विजय वर्मा,ओ पी चौधरी,गौरव शर्मा,विशाल अग्रवाल,सोनल अग्रवाल,राजपाल आदि शामिल रहें।

पीएमएलए के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा-आम लोगों की तरह ही ट्रायल का सामना करें

नई दिल्ली । अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के संबंध में मनी लान्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे एक वकील की याचिका को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में वकील ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के एक प्रावधान को वैधता को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें आम नागरिकों की तरह ही ट्रायल का सामना करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वकील गौतम खेतान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर हूं, मैं कानून की वैधता को चुनौती दूंगा... यह प्रथा बंद होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह अब एक अनोखी प्रवृत्ति बन गई है। जब मुकदमा चल रहा होता है, तो धनी और संपन्न लोग कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए इस अदालत का रुख करते हैं। यदि आप आरोपी है, तो किसी भी अन्य आम नागरिक की तरह मुकदमे का सामना करें। खेतान ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44(1)(सी) को चुनौती दी है। इस प्रावधान के तहत यह अनिवार्य है कि यदि नामित पीएमएलए विशेष

न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय किसी अनुसूचित अपराध (आधारभूत अपराध) का संज्ञान लेता है, तो अधिकृत प्राधिकारी के आवेदन पर मामले को धन शोधन अपराध से निपटने वाले विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

इस प्रावधान का उद्देश्य क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को रोकना, मुकदमों को सुव्यवस्थित करना और एक ही अदालत को मूल अपराध और धन शोधन के आरोप दोनों पर निर्णय देने में सक्षम बनाकर एकरूपता सुनिश्चित करना है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह उस प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करती है, जिसे उसने धनी आरोपियों द्वारा आपराधिक मुकदमों के दौरान वैधानिक प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने की बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया है। खेतान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि धारा 44(1)(सी) की संवैधानिक वैधता प्रश्न में है और अदालत द्वारा इसकी जांच की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि विजय मदनलाल मामले में उसके फैसले से उत्पन्न समीक्षा याचिकाओं में पीएमएलए के प्रावधानों की वैधता पहले से ही विचाराधीन है।

एसआईआर- 2.89 करोड़ नाम कटे

यूपी में एसआईआर के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी, 6 फरवरी तक दावा कर सकते हैं लोग

नई दिल्ली ।

27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से तीसरी बार स्थगित होने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा जारी किया।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। राज्य में मतदाता सूची से 28 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। मतदाता सूची का मसौदा पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित होना था। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने पहले बताया था कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की

अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण के दौरान दावों और आपत्तियों पर निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा और सभी गणना प्रपत्र प्राप्त कर डिजिटल कर दिए गए हैं। संशोधित समग्र सारिणी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा आज प्रकाशित किया जाएगा। अपना नाम चेक करने के लिए https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S24 वेबसाइट पर जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो सप्ताह का विस्तार मांगा था ताकि जिला

अब 12.55 करोड़ वोटर, 6 फरवरी तक दावे आपत्ति करें, 11 राज्यों से 3.69 करोड़ नाम हट चुके

निर्वाचन अधिकारी मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाताओं की सूचियों का पुनः सत्यापन कर सकें। राय को पहले ही एक सप्ताह का विस्तार मिल चुका था। अब तक बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पूरा हो चुका है।

अंकिता हत्याकांड : बोले- सीएम धामी कोई दोषी नहीं बचेगा, माता-पिता की बात मानेगी सरकार

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या एक संवेदनशील वह हृदय विदारक घटना है। प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की मजबूती से पैरवी की।

इसी कारण तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। मंगलवार को सचिवालय मौलिया हाउस में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल ही में जारी एक आडियो क्लिप की सत्यता जानने के लिए एसआइटी का गठन किया गया है। सरकार इस मामले में हर तरह की जांच करने के लिए तैयार है। कोई भी दोषी होगा वह छूटेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा अंकिता के माता-पिता से बात करेंगे और वह जो चाहेंगे सरकार उस पर निर्णय लेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर प्रदेश में लोग सड़कों पर उतरे हैं। तीन साल पहले हुए चर्चित अंकिता

हत्याकांड में बीआईपी का नाम सामने आने पर विपक्ष सहित तमाम सामाजिक संगठन सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बीते कई दिनों से अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सिलसिलेवार वीडियो ने सोशल मीडिया ही नहीं पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। उर्मिला अपने वीडियो में जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड की परतें खोलने का दावा कर रही है तो वहीं बीआईपी नामों को लेकर भी पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगा रही है। वायरल वीडियो से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता असहज हो रहे हैं। महिला की ओर से हर दिन सोशल मीडिया पर लाइव आकर पार्टी के बड़े नेताओं के नाम लेकर लगाए जा रहे आरोप, टेलीफोन पर की जा रही बातचीत का रिकॉर्ड, संबंधित तस्वीरों से पार्टी की छवि खराब हो रही है। प्रदेशभर से लोग सोशल मीडिया पर इन वीडियो में दिए जा रहे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे रहे है। पहले पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस को दोषी ठहराया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने मीडिया के सामने अपनी पैड़ बयां करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात की है।

दुष्यंत गौतम ने सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी की ओर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ खानवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें दोनों आरोपियों पर जानबूझकर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो जारी कर उनकी छवि खराब करने व दंगे फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। तहरीर में कांग्रेस, यूकेडी और आप को साजिश का सूत्रधार बताकर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।

जापान में तेज भूकंप से तबाही: बुरी तरह कांपने लगी इमरातें !

जापान के पश्चिमी हिस्से में मंगलवार सुबह एक तेज भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, शिमाने प्रांत में सुबह 10:18 बजे (स्थानीय समय) आए इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई, जबकि इसका केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था।भूकंप का असर शिमाने और पड़ोसी तोत्तोरी प्रांत में सबसे ज्यादा देखा गया, जहां जापान के सात-स्तरीय भूकंप पैमाने पर इसकी तीव्रता ऊपरी स्तर 5 तक दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र 35.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 133.2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। मुख्य झटके के

घरों की छतें-सड़कें टूटीं, कई लोग घायल

बाद दो शक्तिशाली आफ्टरशॉक भी महसूस किए गए। पहला आफ्टरशॉक 10:28 बजे (5.1 तीव्रता) और दूसरा 10:37 बजे (5.4 तीव्रता) पर दर्ज किया गया। लगातार झटकों के कारण लोगों में भय का माहौल बना रहा।मात्सुए शहर (शिमाने प्रांत) में गिरने और अन्य दुर्घटनाओं के कारण चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, कई घरों की छतों को नुकसान पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील

मतदाता सूची का एसआईआर कराना ईसी का अधिकार

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का पूरा अधिकार और क्षमता है। साथ ही यह उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता के रूप में दर्ज न हो। आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष यह दलील रखी। पीठ ने उन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर शुरू की, जिनमें बिहार समेत कई राज्यों में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में आयोग की शक्तियों की सीमा, नागरिकता और मतदान के अधिकार से जुड़े संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्य के तीनों अंगों के सभी प्रमुख संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 124(3) का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की एक मुख्य शर्त यह है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। द्विवेदी ने कहा, सभी अहम नियुक्तियां तभी हो सकती हैं जब व्यक्ति नागरिक हो। हमारा संविधान मुख्य रूप से नागरिक-केंद्रित है।

संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब संविधान नागरिक शब्द का इस्तेमाल करता है, तो इसकी जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची में कोई भी विदेशी शामिल न हो, यह सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि चुनाव आयोग का काम राजनीतिक दलों की बख-बजानी का जवाब देना नहीं है। उन्होंने कहा, हम राजनीतिक दलों पर टिप्पणी नहीं कर रहे। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि मतदाता सूची में कोई विदेशी न हो। यह देखना जरूरी है कि हमारे पास यह शक्ति और क्षमता है। अपनी दलील आगे बढ़ाते हुए द्विवेदी ने एक अहम संवैधानिक सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या संविधान का अनुच्छेद 324 (जो चुनाव आयोग को चुनावों की निगरानी, दिशा और नियंत्रण की शक्ति देता है) कानून के प्रावधानों से पूरी तरह खत्म हो जाता है या इसे हर मामले में अलग-अलग देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324, 325 और 326 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 को साथ पढ़ने पर यह नहीं कहा जा सकता कि मतदाता सूची के संशोधन के मामले में चुनाव आयोग का अधिकार खत्म हो जाता है। द्विवेदी ने कहा, यह क्षेत्र पूरी तरह बंद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार बने रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मनमानी और प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। आवेदन में कहा गया, चुनाव आयोग मनमाने तरीके से या कानून से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता और न ही कानूनी रूप से तय प्रक्रियाओं की जगह अस्थायी या अनौपचारिक तरीकों को अपना सकता है। डेरेक ओ ब्रायन ने पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों को चुनौती दी है।

आईआरसीटीसी घोटाला मामला : तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने के निर्णय के खिलाफ बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। सोमवार को कोर्ट ने इसी मामले में तेजस्वी के पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था। तेजस्वी और लालू यादव ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में उन दोनों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्णय को चुनौती दी है।

भाजपा आईटी सेल के बनाए मोबाइल एप से एसआईआर करा रहा चुनाव आयोग, ममता बनर्जी ने लगाया गंभीर आरोप

गंगानगर (पश्चिम बंगाल) ।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग राज्य में एसआईआर अभ्यास को कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल के बनाए मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। मुख्यमंत्री बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में गंगासागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दो दिन की यात्रा पूरी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने कहा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान चुनाव आयोग हर तरह के गलत तरीके अपना रहा है। उन्होंने कहा, एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग हर तरह के गलत कदम उठा

रहा है। वह योग्य मतदाताओं को मृत घोषित कर रहा है और बुजुर्ग, बीमार और असहाय लोगों को सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। वह इस काम के लिए भाजपा के आईटी सेल के बनाए मोबाइल एप का इस्तेमाल कर रहा है। यह अवैध, असांविधानिक और अलोकतांत्रिक है। ऐसे नहीं चल सकता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुप्रीमो की ओर से यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब उनकी पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को कराने के लिए आयोग ने मनमाने और प्रक्रिया के खिलाफ कदम उठाए हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया ने राय के योग्य और वास्तविक मतदाताओं को परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं जनता से अपील करती हूं कि एसआईआर में भाग लेते समय सतर्क रहें। जो लोग जरूरतमंद हैं, उनके साथ खड़े रहें। उन्हें मेरा समर्थन करने की जरूरत नहीं है, केवल लोगों का साथ दें, जो इस प्रक्रिया की वजह से परेशानी में हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा था कि वह राय में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि डर, उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी के कारण मौतें हो रही हैं और लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है।

पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ-पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, पाकिस्तान से आई 20 किलो हेरोइन जब्त, 4 गिरफ्तार

पंजाब। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बॉर्डर रेंज के साथ संयुक्त अभियान में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एनटीएफ) ने सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप 19.980 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई और आपूर्ति श्रृंखला का संचालन करने वाले मुख्य संचालक सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, पंजाब पुलिस ने खुलासा किया कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों से जुड़े थे और राय के कई जिलों में मादक पदार्थों की खेप की डिलीवरी और वितरण का समन्वय करते थे। मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आपूर्ति मार्गों का पता लगाने, अतिरिक्त संचालकों की पहचान करने

और पूरे नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए आगे की जांच जारी है। सीमा पार तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, सीमा रेंज स्थित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सीमा सुरक्षा बल के साथ संयुक्त अभियान में 19.980 किलोग्राम हेरोइन बरामद की और आपूर्ति श्रृंखला का संचालन करने वाले मुख्य कर्मी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों से जुड़े हुए हैं और पूरे क्षेत्र में मादक पदार्थों की खेप की डिलीवरी और वितरण का समन्वय कर रहे थे। एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और सीमा पार तस्करों की पहचान करने, आपूर्ति मार्गों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को नष्ट करने के लिए जांच जारी है। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने लिखा, @PunjabPoliceInd #Punjab में मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने और #Punjab में सक्रिय सीमा पार नशीले पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक अन्य घटना में, पंजाब पुलिस ने इससे पहले एक संगठित अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया, हत्या, जबरन वसूली और लक्षित हत्याओं में शामिल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया और कई हथियार बरामद किए, पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने 1 जनवरी को यह जानकारी दी।

तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है?, असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर साधा निशाना

अकोला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता नवनीत राणा के एक बयान पर निशाना साधा। नवनीत राणा ने कहा था कि देश की जनसांख्यिकीय संरचना पाकिस्तान जैसी न हो जाए, इसलिए उन्हें चार बच्चे पैदा करने चाहिए। ओवैसी ने राणा का नाम लिए बिना कहा कि मेरे छह बच्चे हैं और तुम 4 नहीं, आठ बच्चे पैदा करो। कौन रोक रहा है? महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, मेरे छह बच्चे हैं और मेरी दाढ़ी सफेद हो रही है। किसी ने कहा था कि चार बच्चे होने चाहिए। चार ही क्यों? आठ बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है? रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के भी बयान का

जिक्र किया। दरअसल, टीडीपी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का हिस्सा है और चंद्रबाबू नायडू ने भी ज्यादा बच्चे पैदा करने का बयान दिया था। उन्होंने कहा, किसी ने बयान दिया कि मौलाना ने 19 बच्चे पैदा किए। कोई कह रहा है कि चार बच्चे पैदा करो। सभी लोग कह रहे हैं कि और बच्चे पैदा करो। तुम क्यों पैदा नहीं कर रहे? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम 20 बच्चे पैदा करो। यह कैसा मजाक है?

पीएम-गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाने वाले होंगे निलंबित

नईदिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने परिसर में हुई नारेबाजी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें शामिल छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा, गैरकानूनी आचरण या राष्ट्रविरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएनयू की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विश्वविद्यालय सवाचार और नए विचारों के केंद्र होते हैं, लेकिन उन्हें नफरत की प्रयोगशालाओं में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने दो टूक कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कानून और संस्थागत मर्यादाओं का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है।

नारे लगाने वाले छात्रों की हो रही पहचान

विवादित नारेबाजी को लेकर जेएनयू ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाने वाले छात्रों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ नियमों के तहत कड़े से कड़े कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों से की शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील

विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि जेएनयू का माहौल अकादमिक विमर्श और रचनात्मक बहस के लिए है, न कि विभाजन और टकराव के लिए।

क्या है पूरा विवाद

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोमवार रात को साबरमती

प्रशासन बोला- नहीं बनने देंगे नफरत की प्रयोगशाला

हॉस्टल के बाहर कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी की गई। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। इस मामले पर जेएनयू सुरक्षा विभाग ने वसंत कुंज(नॉर्थ) थाना एसएचओ को मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र दिया है। नारेबाजी का आरोप जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारियों सहित कई दूसरे छात्रों पर लगा है। दरअसल, छात्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगे मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने और पांच जनवरी 2020 को परिसर में हुई हिंसा के खिलाफ नाराजगी और आक्रोश व्यक्त करने के लिए जुटे थे। इस बीच छात्रों की ओर से कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी की गई। इस मामले पर जेएनयू सुरक्षा विभाग द्वारा एसएचओ को लिखे पत्र के अनुसार साबरमती हॉस्टल के बाहर जेएनयू छात्र संघ से जुड़े छात्रों की ओर से गुरिल्ला ढाबा पर प्रतिरोध की रात शीर्षक के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसका उद्देश्य पांच जनवरी 2020 को जेएनयू में हुई हिंसा की छठी वर्षगांठ मनाना था। कार्यक्रम की शुरुआत के समय ऐसा लगा कि छात्र सिर्फ वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ही आए थे। इस मौके पर छात्रों की संख्या लगभग 30-35 थी। कार्यक्रम के दौरान पहचाने गए प्रमुख छात्रों में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष के गोपिका बाबू, महासचिव मुनीत यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली के अलावा छात्र साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पार्थीजा खान, शुभम और दूसरे छात्र शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर न्यायिक फैसले के बाद सभा का स्वरूप और लहजा बदल गया।